

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 07 / 15

संस्थापन दिनांक : 06.01.2015

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड  
म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1-राजेश पुत्र जुगराजसिंह तौमर उम्र 43 वर्ष निवासी  
पोरसा थाना पोरसा जिला मुरैना म.प्र.

— अभियुक्त

निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भा.द.स.की धारा 427 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 279 भा.द.स.के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 30.12.14 को 14:00 बजे करीबन पाना पुल भिण्ड मालनपुर रोड पर अपने अधिपत्य के वाहन सफेद रंग की कार क्रमांक एम0पी0-6-सी.ए.4170 को उपेक्षा से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30.12.14 को फरियादी हरमीतसिंह अ0सा01 अपने पिता के साथ फोर्डफिगो कार क्रमांक एम.पी. -07-सी.डी.0652 से अपनी रिश्तेदारी में ग्राम चक तुकेंड़ा तेरहवीं में जा रहा था कार वह स्वयं चला रहा था। जैसे ही वह पाना पुल पर पहुंचे तो गोहद तरफ से सामने से कार क्रमांक एम0पी0-06-सी.ए.4170 का डाइवर कार को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और रॉंग साइड में आकर उसकी जीप में बगल से टक्कर मार दी जिससे डाइवर साइड का अगला व पिछला पहिया चटककर टूट गया एवं गाड़ी का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त होकर नुकसान हो गया। तत्पश्चात फरियादी हरमीतसिंह अ0सा01 ने थाना मालनपुर में आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर से अप0क्र0 254/14 पंजीबद्ध

कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपी ने दिनांक 30.12.14 को 14:00 बजे करीबन पाना पुल भिण्ड मालनपुर रोड पर अपने अधिपत्य के वाहन सफेद रंग की कार क्रमांक एम0पी0-6-सी.ए.4170 को उपेक्षा से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. हरमीतसिंह अ0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व पाना पुल के पास कोहरे के कारण उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। कोहरे के कारण गाड़ी धीरे चल रही थी। दुर्घटना कैसे हुई व किस गाड़ी से हुई वह नहीं बता सकता। उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी-1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस मौके पर आई थी नक्शामौका प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। गाड़ी का नुकसानी पंचनाम प्र0पी-3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 30.12.14 को आरोपी राजेश ने गोहद तरफ से कार क्रमांक एम0पी0-6-सी.ए.4170 को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी और स्वतः कथन किया है कि खंबे से दुर्घटना हुई थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दफ़्तर प्र0पी-4 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
6. अभियोजन मामले में फरियादी हरमीतसिंह अ0सा01 प्रकरण में फरियादी होकर घटना का प्रत्यक्ष साक्षी है। परन्तु उसके द्वारा इस संबंध में स्पष्ट इंकार किया गया है कि घटना के समय आरोपी द्वारा वाहन क्रमांक एम0पी0-6-सी.ए. 4170 को परिचालित किया गया अथवा उक्त वाहन से दुर्घटना कारित हुई अपितु इस साक्षी कथनानुसार खंबे से दुर्घटना कारित हुई थी। वाहन उपेक्षापूर्वक परिचालित होने के संबंध में ही हरवीर अ0सा01 ने कथन किया है कि कोहरे के गाड़ियां तेज नहीं चल रही थीं। अतः उक्त महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 30.12.14 को 14:00 बजे करीबन पाना पुल भिण्ड मालनपुर रोड पर अपने अधिपत्य के वाहन सफेद रंग की कार क्रमांक एम0पी0-6-सी.ए.4170 को उपेक्षा से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया।
7. परिणामतः आरोपी को धारा 279 भा.द.स.के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
8. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
9. प्रकरण में जप्त वाहन कार क्रमांक एम0पी0-06-सी.ए.4170 आवेदक

राजेशसिंह तौमर की सुपुर्दगी में है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0